>

Title: Need to provide the wage dues to labourers whose services have been utilized by the Food Corporation of India in Sriganganagar and Hanumangarh districts of Rajasthan.

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): प्रतिवर्ष की भांति भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस वर्ष भी अप्रैल से जून, 2011 के मध्य श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की गई थी। लेकिन भारतीय खाद्य निगम द्वारा श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के तुलाई मजदूरों की देय राशि जो लगभग 2.25 से 2.50 करोड़ रूपये है, अदा करने से इंकार कर दिया गया है तथा इसके अतिरिक्त गत वर्ष दी गई लगभग 1.00 करोड़ की तुलाई राशि की वसूली का भी निर्णय लिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई, गेहूं की खरीद की तुलाई, उठान एवं लदान से संबंधित मजदूर प्रायः दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। इस वर्ष अप्रैल, 2011 में मजदूरों द्वारा की गई मजदूरी उन्हें अभी तक भुगतान नहीं होने से मजदूर वर्ग परेशान तो है ही, इसके साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत वर्ष भुगतान की गई तुलाई की राशि की रिकवरी के आदेश से मजदूर वर्ग में आक्रोश बढ़ रहा है। मजदूर वर्ग यदि आंदोलन पर उतर आया तो इन दोनों जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी एवं इन दोनों जिलों की मंडियों का व्यापार भी ठप्प हो जाएगा। इससे व्यापारी वर्ग प्रभावित होगा, इसके साथ-साथ राज्य सरकार की राजस्व आय में भी कमी आएगी।

इन दोनों जिलों के मजदूरों द्वारा पूर्व में दिनांक 1 सितम्बर से व्यापार ठप्प कर हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई थी लेकिन व्यापारियों द्वारा उच्चाधिकारियों से चर्चा करने एवं उनके आश्वासन पर मजदूर वर्ग को समझाने के पश्चात हड़ताल पर जाने का निर्णय स्थगित कर दिया गया। अब लगभग दो माह का समय व्यतीत होने के बाद भी उनको तुलाई का भुगतान नहीं होने के कारण यह वर्ग पुनः संगठित हो रहा है एवं आंदोलन की राह पर जाने के लिए अपनी योजना बना रहा है।

मेरा भारत सरकार से विनम्र आग्रह है कि समस्या का समाधान कराया जाए एवं मजदूरों को उनकी तुलाई का भुगतान कराया जाए। इसके साथ-साथ मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आड़तियों को दिया जाने वाला कमीशन भी देश में एक जैसा नहीं है। श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में निगम द्वारा की जा रही खरीद पर आड़तियों को 2 प्रतिशत तथा हरियाणा-पंजाब राज्य में ढाई प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करते हुए निगम को आदेश करें कि हरियाणा राज्य की तर्ज पर ही श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ के व्यापारी-आड़तियों को कमीशन दिया जाए तथा खरीद की जाए।